

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :- प 32(बी)(1)आब/एल/2019-2020/3877

दिनांक :- 02.02.2019

विदेशी मदिरा व बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019-2020 हेतु राज्य के विनिर्दिष्ट नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिका क्षेत्र में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।
2. इन दुकानों की प्रति दुकान वार्षिक लाईसेन्स फीस एवं आवेदन शुल्क निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	श्रेणी	वर्ष 2019-2020 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस (लाख ₹0 में)			आवेदन शुल्क रूपये में
		बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.3 एवं 4 का योग	
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर व जोधपुर	22.00	8.00	30.00	28000
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	18.50	6.50	25.00	28000
3	जिला मुख्यालय अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली एवं गंगानगर	13.50	5.00	18.50	28000
4.	अन्य जिला मुख्यालय एवं नगरपालिका /नगर परिषद कोटपूतली, बहरोड, ब्यावर, किशनगढ़, कुचानसिटी, मकराना, देवली, रामगंजमण्डी, झालारापाटन, भवानीमण्डी, आबूरोड, बालोतरा, भीनमाल, गंगापुरसिटी, हिन्दोनसिटी, निम्बाहेडा, फलौदी, सागवाडा, सूरतगढ़, एवं नीम का थाना	12.80	4.20	17.00	28000
5.	अन्य नगरपालिकाएँ ("चतुर्थ श्रेणी" की अन्य नगर पालिकाओं को छोड़कर)	11.50	3.50	15.00	28000

3. विशेषतः जिस दुकान/दुकानों के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकानों के लिये अमानत राशि शून्य होकर केवल आवेदन शुल्क ही जमा कराना आवश्यक है।
4. आवेदन शुल्क अप्रतिदाय योग्य (non-refundable) होगा।
5. एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान आवंटित नहीं की जावेगी। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकान हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे उसके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार दुकान आवंटित कर दी जायेगी तथा शेष दुकानों का आवंटन आरक्षित सूची में से वरिष्ठता के क्रम में किया जायेगा।
6. समस्त आवेदन ऑनलाईन ही वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> एवं <https://rajexcise.gov.in> स्वीकार किये जाएँगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेगे। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त दिशा-निर्देश एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
7. आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई-मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से (Round the Clock) भरे जा सकते हैं।

8. इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों बाबत सूचना एवं दुकानों की निर्धारित सूची विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> पर उपलब्ध है ।
9. ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> एवं <https://rajexcise.gov.in> पर दिनांक 09.02.2019 से 26.02.2019 तक को रात्रि 12.00 ए.एम. बजे तक भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।
10. आवेदन शुल्क इन्टरनेट बैंकिंग/ई-ग्रास चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराये जा सकते हैं।
11. ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साईट से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जायेगा।
12. आवेदन शुल्क का इन्टरनेट बैंकिंग से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदको के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उसकी प्रिन्टेड कॉपी को ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिवस अथवा 28.02.2019 को 6 पीएम तक, जो भी पहले हो, तक आवेदन शुल्क के चालान/ डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रिन्टेड कॉपी प्रस्तुत करने की उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये प्रिन्टेड कॉपी 28.02.2019 को 6 पीएम के बाद स्वीकार्य नहीं होंगे।
13. इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेन्स/ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक दस्तावेज की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
14. किसी नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम अथवा उसके जोन हेतु दुकानों की निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 05.03.2019 को प्रातः 11.00 ए.एम. से जिला मुख्यालयों पर निकाली जायेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी/सूचना जिला कलक्टर एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
15. जिन आवेदन पत्रों के साथ आवेदन शुल्क एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
16. आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2019-2020 (दिनांक 1-4-2019 से दिनांक 31-3-2020) के लिये होगी।
17. आवेदन आमंत्रण के सम्बन्ध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> उपलब्ध होकर इस हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :-प 32(बी)(1)आब/एल/2019-2020/3878

दिनांक :- 02.02.2019

देशी मदिरा रिटेल दुकानों/दुकान समूहों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

- 1 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019-2020 हेतु राज्य में देशी मदिरा समूहों/दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।
- 2 समस्त आवेदन ऑनलाईन ही वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> एवं <https://rajexcise.gov.in> द्वारा स्वीकार किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेगे। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त दिशा-निर्देश एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
- 3 आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई-मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से (Round the Clock) भरे जा सकते हैं।
- 4 इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध समूहों/दुकानों बाबत सूचना एवं समूहों/दुकानों की सूची विभागीय वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> पर उपलब्ध है।
- 5 ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाइट <https://www.rajexciseapplication2019-20.org> एवं <https://rajexcise.gov.in> पर दिनांक 09.02.2019 से 26.02.2019 को रात्रि 12.00 ए.एम. बजे तक भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिक समाप्त हो जायेगा।
- 6 विशेषतः जिस दुकान/दुकानों समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकानों समूह के लिये अमानत राशि शून्य होकर केवल आवेदन शुल्क ही जमा कराना आवश्यक है।
- 7 एक समूह/दुकान के लिये एक से अधिक आवेदन अथवा अलग-अलग समूह/दुकान के लिये एक एवं एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन के लिये जमा कराया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (Non refundable) होगा।
- 8 एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान/दुकान समूह आवंटित नहीं किये जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकानों/दुकान समूहों हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान/दुकान समूह हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे वह दुकान/दुकान समूह आवंटित किये जायेंगे जिसके लिए सबसे कम आवेदन प्राप्त हुए हो। दुकान/दुकान समूह हेतु समान संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को वह दुकान/दुकान समूह आवंटित किये जायेंगे जिसकी वार्षिक राशि अधिक हो।
- 9 आवेदन शुल्क इन्टरनेट बैंकिंग/ई-ग्रास चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराये जा सकते हैं।
- 10 ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साईट से आवेदक को आवेदन पत्र का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जायेगा।

- 11 आवेदन शुल्क का इन्टरनेट बैंकिंग से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदकों के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उसकी प्रिन्टेड कॉपी को ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिवस अथवा **28.02.2019 को 6 पीएम**, जो भी पहले हो, तक आवेदन शुल्क के चालान/ डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रिन्टेड कॉपी प्रस्तुत करने की उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये प्रिन्टेड कॉपी **28.02.2019 को 6 पीएम के बाद स्वीकार्य नहीं होंगे**।
- 12 इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राइविंग लाइसेन्स/ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से **किसी एक दस्तावेज की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी**।
- 13 किसी दुकान/दुकान समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। **लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 05.03.2019 को प्रातः 11.00 ए.एम. से** जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी।
- 14 देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

क्र.स.	श्रेणी	आवेदन शुल्क रुपये में
1	वर्ष 2019-2020 के लिये 10 लाख रुपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	23000/-
2	वर्ष 2019-2020 के लिये 10 लाख रुपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	28000/-

- 15 जिन आवेदन पत्रों के साथ आवेदन शुल्क एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है, उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- 16 आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2019-2020 (दिनांक 1-4-2019 से दिनांक 31-3-2020) के लिये होगी।
- 17 आवेदन आमंत्रण के सम्बन्ध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट **<https://www.rajexciseapplication2019-20.org>** उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर